न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी   –एक/16   नि. 4293-I/16

1– सुरेन्द्र कुमार यादव

2– दृगपाल यादव

पुत्रगंण श्री ज्वाला प्रसाद यादव

निवासी ग्राम पलेरा, तहसील पलेरा,

जिला टीकमगढ़, म0प्र0

.........आवेदकगंण

विरूद्व

1– मध्यप्रदेश शासन

2– बृजकिशोर पुत्र श्री तिजई सौर

निवासी ग्राम पलेरा, तहसील पलेरा,

जिला टीकमगढ़, म0प्र0

..........अनावेदकगंण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.01.2013 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्र0क0 13/पुर्नविलोकन/2012–13 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, अनावेदक कमांक–2 बृजकिशोर पुत्र श्री तिजई सौर ने कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में ग्राम पलेरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 9175/2 रकवा 0.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला टीकमगढ़

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4293-एक/2016

सुरेन्द्र विरूद्ध म.प्र.शासन व बृजकिशोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 13/पुर्नविलोकन/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 03-01-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 27-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 3 (आर.के. जैन) 27/3/19 सदस्य	